भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 440
21 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **दीर्घकालिक कृषि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ऋण सहायता**

440. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि मशीनरी, सिंचाई संरचनाओं और कटाई के बाद के अवसंरचना सहित दीर्घकालिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण के लिए किसानों को ऋण सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकार-समर्थित ऋण योजनाओं के अंतर्गत दीर्घकालिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए संवितरित किए गए ऋण की मात्रा का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दीर्घकालिक कृषि अवसंरचना को विकसित करने में किसानों, विशेष रूप से छोटे, सीमांत और काश्तकार किसानों के सामने आने वाले अंतरालों और बाधाओं का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों की इन श्रेणियों के लिए ऋण की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): विभाग कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए 9 प्रतिशत की ब्याज दर सीमा पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज अनुदान और पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2 करोड़ की सीमा तक ऋण गारंटी कवरेज के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करता है। यह सहायता पात्र लाभार्थियों जैसे किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कृषि-उद्यमियों स्टार्ट-अप आदि को फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई संरचनाओं और कृषि परिसंपत्तियों जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, गोदामों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, पैक-हाउस, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, परख सुविधाओं, सौर पंपों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों आदि के निर्माण के लिए उपलब्ध है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, 1,27,931 लाभार्थियों ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत लाभ उठाया है, जिसमें देश भर में 46,480.10 करोड़ रुपये की राशि का ऋण वितरित किया गया है। इनमें से 4,015 लाभार्थी आंध्र प्रदेश के हैं, जिनको राज्य में 1,759.08 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार विवरण के साथ-साथ एआईएफ के तहत लाभार्थियों और वितरित ऋण का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ): विभाग स्टेकहोल्डर परामर्श, आवधिक समीक्षाओं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों से फीडबैक के माध्यम से फसलोपरांत दीर्घकालिक कृषि अवसंरचना के सृजन में छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों के समक्ष आ रही बाधाओं का लगातार आकलन करता है। कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं -

(i) पात्र गतिविधियों की सूची के तहत एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण, मशरूम, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल खेती, पीएम-कुसुम घटक-ए आदि जैसी अतिरिक्त व्यवहार्य कृषि अवसंरचना परियोजनाओं को शामिल करके योजना के दायरे का विस्तार किया गया है।

(ii) प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) की वेयरहाउस/गोदाम परियोजनाओं के लिए ऋण गारंटी कवरेज की अवधि को 2+5 वर्ष से बढ़ाकर 2+8 वर्ष कर दिया गया है।

(iii) ऑनलाइन आवेदन, परियोजना निगरानी, ऋणदाता संस्थाओं के साथ एकीकरण और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डिजिटल सिंगल-विंडो एआईएफ पोर्टल विकसित किया गया है।

अनुबंध

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईएफ के तहत लाभार्थियों की संख्या और वितरित राशि का राज्यवार और वर्षवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	2023-2024		2024-2025		2025-2026		कुल (पिछले 3 वर्ष	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	1	0.30	1	0.30
2	आंध्र प्रदेश	312	228.40	926	339.76	2772	666.68	4010	1,234.85
3	अरुणाचल प्रदेश	2	0.92452	-	-	-	-	2	0.92
4	असम	175	229.32	115	110.59	172	87.46	462	427.37
5	बिहार	417	359.36	744	412.86	758	267.57	1919	1,039.79
6	चंडीगढ़	2	1.77	2	1.02	1	0.26	5	3.05
7	छत्तीसगढ़	512	462.51	954	603.07	1886	557.92	3352	1,623.49
8	दिल्ली	3	4.43	2	7.75	4	1.26	9	13.44
9	गोवा	8	2.87	8	22.40	4	2.49	20	27.76
10	गुजरात	958	948.83	1370	1,016.46	1952	980.39	4280	2,945.68
11	हरियाणा	2049	894.96	3068	1,023.80	4136	1,238.40	9253	3,157.16
12	हिमाचल प्रदेश	192	60.90	255	76.23	431	161.25	878	298.38
13	जम्मू और कश्मीर	40	76.55	100	196.46	160	100.56	300	373.56
14	झारखंड	104	69.75	180	103.77	242	73.87	526	247.39
15	कर्नाटक	900	759.05	1081	942.93	1084	582.85	3065	2,284.83
16	केरल	971	250.90	1381	308.32	1447	276.62	3799	835.84
17	लद्दाख	-	-	-	-	1	0.34	1	0.34
18	मध्य प्रदेश	2617	1,279.38	4732	1,598.59	8173	1,821.12	15522	4,699.09
19	महाराष्ट्र	3406	1,419.43	3273	1,932.70	5017	1,899.11	11696	5,251.24
20	मणिपुर	1	0.19	-	-	1	0.22	2	0.41
21	मेघालय	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
22	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-
23	नागालैंड	1	1.75	-	-	-	-	1	1.75
24	ओडिशा	853	522.95	1405	559.61	2541	680.74	4799	1,763.30
25	पुडुचेरी	1	1.10	4	1.23	5	2.82	10	5.15
26	पंजाब	9533	2,128.84	10112	1,904.58	10548	2,223.46	30193	6,256.88
27	राजस्थान	974	690.90	1146	494.96	2149	737.88	4269	1,923.74
28	तमिलनाडु	2446	686.26	1335	760.87	1658	550.86	5439	1,997.99
29	तेलंगाना	639	679.23	933	733.47	1591	1,113.86	3163	2,526.56
30	त्रिपुरा	3	6.40	3	3.57	1	0.05	7	10.02
31	उत्तर प्रदेश	2697	1,792.39	4885	1,888.72	5685	1,670.73	13267	5,351.84
32	उत्तराखंड	167	100.07	189	174.41	176	77.79	532	352.27
33	पश्चिम बंगाल	1608	536.94	2553	630.44	2987	657.84	7148	1,825.22
सकलयोग		31591	14,196.35	40756	15,848.57	55584	16,435.18	127931	46,480.10

ख. आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईएफ के तहत लाभार्थियों की संख्या और वितरित राशि का जिलावार और वर्षवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	जिला	**2023-2024**		**2024-2025**		**2025-2026**		**कुल (पिछले 3 वर्ष)**	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि	कुल	वितरित राशि
1	अल्लूरी सीताराम राजू	-	-	1	0.11	6	0.96	7	1.07
2	अनकापल्ली	5	2.51	30	4.49	20	2.48	55	9.48
3	अनंतपुर	15	4.23	30	5.6	146	36.41	191	46.24
4	अन्नामय्या	1	0.35	2	0.23	31	3.66	34	4.24
5	बापटला	8	5.69	26	7.01	77	15.55	111	28.25
6	चित्तूर	3	6.86	4	13.58	21	2.5	28	22.94
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	6	6.39	27	7.25	140	26.32	173	39.96
8	पूर्वी गोदावरी	23	7.98	107	28.74	294	69.24	424	105.96
9	एलुरु	13	13.03	56	21.03	163	50.11	232	84.17
10	गुंटूर	11	16.29	25	11.29	72	14.73	108	42.31
11	काकीनाडा	9	9.82	50	26.96	195	37.82	254	74.6
12	कृष्ण	18	21.77	30	11.7	98	21.85	146	55.32
13	कुरनूल	8	3.26	34	15.77	95	21.97	137	41
14	मरकापुरम*	-	-	-	-	-	-	-	-
15	नंदयाल	28	13.42	81	26.16	243	66.02	352	105.6
16	एनटीआर	9	5.45	31	14.33	106	26.99	146	46.77
17	पलनाडु	20	36.73	19	9.55	106	20.37	145	66.65
18	पार्वतीपुरम मान्यम	20	3.93	23	10.7	52	17.07	95	31.7
19	प्रकाशम	7	6.07	10	10.59	77	17.19	94	33.85
20	पोलावरम*	-	-	-	-	-	-	-	-
21	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	13	6.17	34	16.29	187	43.32	234	65.78
22	श्री सत्य साईं	4	0.28	3	1.8	28	2.59	35	4.67
23	श्रीकाकुलम	39	9.07	71	22.44	93	27.57	203	59.08
24	तिरुपति	7	11.49	15	9.91	57	10.18	79	31.58
25	विशाखापत्तनम	9	8.76	12	4.76	1	0.4	22	13.92
26	विजयनगरम	19	13.32	99	22.54	99	33.22	217	69.08
27	पश्चिम गोदावरी	9	13	89	30.3	259	65.27	357	108.57
28	वाई.एस.आर.	8	2.54	17	6.63	111	32.9	136	42.07
सकलयोग		312	228.41	926	339.76	2777	666.69	4015	1234.86

* 1 जनवरी, 2026 को मरकापुरम और पोलावरम नामक दो जिलों का गठन किया गया।
